

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग
॥ आदेश ॥

बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती से बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग एवं बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद क्रमशः सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के पद पर नियुक्त परीक्ष्यमान पदाधिकारियों का सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-2160 दिनांक-05.02.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में पारस्परिक वरीयता निर्धारित किया जाना है।

2. उक्त अधिसूचना में वर्णित प्रावधान के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशसित एवं सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण आयोग की परीक्षा के प्राप्तांक, प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के विभिन्न चरण में प्राप्त अंक तथा केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद् द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा के प्राप्तांक को निम्नवत् अधिमानता के आधार पर प्राप्त कुल अंक (Z) के अवरोही क्रम में किया जाना है। अधिमानता के आधार पर प्राप्त कुल अंक (Z) की गणना निम्नवत् की जायेगी :-

क्र.सं.	परीक्षा/प्रशिक्षण	कुल प्राप्तांक	कुल निर्धारित अंक	अधिमानता	अधिमानता निर्धारण का सूत्र
1	आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा	X	Y	66%	$(X/Y) \times 100 \times 0.66 = (X/Y) \times 66$
2	प्रवेशकालीन प्रशिक्षण				
	प्रथम चरण	A	B	06%	$(A/B) \times 100 \times 0.06 = (A/B) \times 06$
	द्वितीय चरण	A	B	06%	$(A/B) \times 100 \times 0.06 = (A/B) \times 06$
	तृतीय चरण	A	B	06%	$(A/B) \times 100 \times 0.06 = (A/B) \times 06$
	चतुर्थ चरण	A	B	06%	$(A/B) \times 100 \times 0.06 = (A/B) \times 06$
3	विभागीय परीक्षा	C	D	10%	$(C/D) \times 100 \times 0.10 = (C/D) \times 10$
	कुल			100%	Z

3. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1808 दिनांक-26.06.2024 द्वारा बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग एवं बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के अंतर्गत नवनियुक्त परीक्ष्यमान पदाधिकारियों का सांस्थिक/प्रवेशकालीन प्रशिक्षण संबंधी नीति एवं कार्यक्रम निम्नरूपेण निर्धारित है :-

क्र. सं.	प्रशिक्षण का चरण	प्रशिक्षण अवधि (सप्ताह में)	प्रशिक्षण संस्थान
i	प्रथम चरण	08 सप्ताह	बिपार्ड, पटना/गयाजी में।
ii	द्वितीय चरण (सेवा से संबंधित विशिष्ट प्रशिक्षण)	15 सप्ताह	D.N.S. Regional Institute of Cooperative Management, Patna VAMNICOM, Pune, BIPARD, Patna/Gaya or any other Training Institute (Recognised by Government For this Purpose) में।



अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष

सहकारी समितियाँ एक गैदर
दुनिया का निर्माण करती हैं

iii	तृतीय चरण	25 सप्ताह	निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पर्यवेक्षण में।
iv	चतुर्थ चरण	04 सप्ताह	बिपार्ड, पटना/गयाजी में।

2. विभागीय संकल्प संख्या-1808 दिनांक-26.06.2024 द्वारा बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग एवं बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के परीक्ष्यमान पदाधिकारियों का प्रवेशकालीन/सांस्थिक प्रशिक्षण के अन्तर्गत तृतीय चरण का 25 साप्ताहिक प्रशिक्षण निम्नरूपेण निर्धारित है :-

i. बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग

निर्धारित क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि (सप्ताह में)
i. मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के साथ संबद्धता	02
ii. सहायक निबंधक, स0स0 के कार्यालय का स्वतंत्र प्रभार	04
iii. जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय से संबद्धता	02
iv. जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के कार्यालय से संबद्धता	02
v. जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड के कार्यालय से संबद्धता	02
vi. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से संबद्धता	03
vii. बिहार राज्य स्वावलंबी सहकारी अधिकरण से संबंधित प्रशिक्षण	02
viii. संयुक्त निबंधक के कार्यालय में अवार्ड/अधिभार संबंधित न्यायालय कार्य का प्रशिक्षण	04
ix. जिला एवं सत्र न्यायाधीश में न्यायालय कार्य का प्रशिक्षण	02
x. कोषागार प्रशिक्षण	02

ii. बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग

निर्धारित क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि (सप्ताह में)
i. अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी के साथ संबद्धता	04
ii. जिला अंकेक्षण पदाधिकारी/अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी का स्वतंत्र प्रभार	04
iii. जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय के साथ संबद्धता	02
iv. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के कार्यों के संबंध में प्रशिक्षण हेतु संबद्धता	03
v. जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड के कार्यालय से संबद्धता	02
vi. उप मुख्य अंकेक्षक, स0स0 के साथ संबद्धता	02
vii. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण) के साथ संबद्धता	04
viii. कोषागार प्रशिक्षण	02
ix. प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक के कार्यालय में न्यायिक कार्यों का प्रशिक्षण हेतु संबद्धता	02

3. अतः सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0-2160 दिनांक-05.02.2025 के प्रावधान के आलोक में पारस्परिक वरीयता निर्धारण हेतु बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के परीक्ष्यमान पदाधिकारियों का तृतीय चरण के प्रशिक्षण का मूल्यांकन हेतु प्रत्येक क्षेत्रीय प्रशिक्षण का पूर्णांक 10 अंक के आधार पर 10 (दस) प्रकार के क्षेत्रीय प्रशिक्षण हेतु अधिकतम पूर्णांक 100 अंक एवं बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग



अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष

सहकारी समितियाँ एक बेहतर
दुनिया का निर्माण करती हैं

के परीक्ष्यमान पदाधिकारियों का तृतीय चरण के प्रशिक्षण का मूल्यांकन हेतु प्रत्येक क्षेत्रीय प्रशिक्षण का पूर्णांक 10 अंक के आधार पर 09 (नौ) प्रकार के क्षेत्रीय प्रशिक्षण हेतु अधिकतम पूर्णांक 90 अंक निर्धारित किया जाता है।

4. तृतीय चरण का प्रवेशकालीन प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त संबंधित संयुक्त निबंधक (प्रशासनिक एवं अंकेक्षण), स.स. अपने प्रमंडल अन्तर्गत परीक्ष्यमान पदाधिकारियों का तृतीय चरण अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्रीय प्रशिक्षण का मूल्यांकन हेतु निर्धारित पूर्णांक 10 अंक के आधार पर सभी क्षेत्रीय प्रशिक्षण में प्राप्त कुल प्राप्तांक एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र संकलित करते हुए अपने स्तर से अंतिम रूप से मूल्यांकन कर समेकित रूप से उपलब्ध करायेगें।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./-

(स्मृति कुमारी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक.....पटना, दिनांक.....

01/रा.स्था. (बैठक)-150/2024 सह.

प्रतिलिपि:-

प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) बिहार, पटना/वित्त वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह./-

सरकार के उप सचिव।

प्रतिलिपि:-

ज्ञापांक...../पटना, दिनांक.....
माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, गयाजी एवं पटना/निदेशक, दीप नारायण सिंह, क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (डी0एन0एस0), पटना/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आशुलिपिक/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अपर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार/सभी संयुक्त निबंधक (प्रशासनिक एवं अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, बिहार/सभी प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., पटना/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड/सभी उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ, बिहार/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, बिहार/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह./-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 4739 पटना, दिनांक 12/09/2025

प्रतिलिपि:-

आई.टी. मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।